


9-2021 पत्रावली पेश हुई रुक-रुक कर
तीन बार आवान दिलाई गईं नती
अभिभाषक उपस्थित हैं और नती
पत्रकारों-सेही स्थिति में न्यायालय
इस प्रकार को आगे जैकार खना
उचित नहीं सम्भता है इता पत्रावली
अदम-राजरी अदम पेशी में खारिज
की जाती है पत्रावली फंसल शुमार
होकर नम्बर से काम की जावे।
निर्णय आज दिनांक 30-9-2021 को
से इजलास सुनाया गया।


उप सचिव अधिकारी
मंगरोल जिला बारी (राज०)